प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' बानवे ' [23/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 4746]

विधानसभा प्रश्न 4746
परिशिष्ट–अ

विषय– म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी में पेपर खरीदी में अनियमितता पर विभाग द्वारा दी गई जांच एवं कार्यवाही।

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष से प्राप्त पत्र दिनांक 23.03.2015 जो माननीय मंत्रीजी के माध्यम से दिनांक 05.04.2015 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में प्राप्त हुआ है। पत्र में शिकायत प्रस्तुत की है कि म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में विगत तीन वर्षों से लेखापाल एवं लेखाधिकारी के पद रिक्त हैं एवं उक्त कार्य प्रिंटिंग अधिकारी एवं जूनियर अकाउटेंस से कराया जाता है। अकादमी में वर्ष 2014–15 में एक हजार टन पेपर खरीदने के लिए पेपर प्राप्त किए बिना अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है। प्राप्त शिकायत को जांच हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा को विभागीय पत्र दिनांक 08.07.2015 को भेजी गई। आयुक्त उच्च शिक्षा ने अतिरिक्त संचालक भोपाल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन सहित नस्ती वापिस भेजी गई। अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा भोपाल ने प्राचार्य, शासकीय सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय भोपाल से प्रकरण की जांच कराई गई। तत्पश्चात प्रकरण के सूक्षम जांच हेतु विभाग के आदेश दिनांक 04.03.2016 द्वारा दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

2. प्रकरण के संबंध में विभागीय पत्र दिनांक 28.04.2016 द्वारा अकादमी से भी जांच प्रतिवेदन चाहा गया है। उक्त शिकायत प्रकरण लोकायुक्त से भी प्रचलित होने से लोकायुक्त कार्यालय से माननीय लोकायुक्त महोदय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के लिए समय–समय पर जांच प्रकरण क्र. 102/2015 की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश प्राप्त हुए तथा समय–समय पर विभाग से सक्षम अधिकारी साक्ष्य में प्रतिवेदन सहित उपस्थि हुए हैं।

3. दो सदस्यीय समिति ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 24.08.2016 द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें विभाग द्वारा पृच्छा की गई है कि ''क्या समिति द्वारा यह परीक्षण कर लिया है कि डीजीएस एण्ड टी की दरें अनुमोदित थी अथवा नहीं? क्या हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन के दरों की सम्यता की जांच कर ली गई है? निर्धारित दरें ज्ञात करने के लिए क्रमशः हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन, कोलकाता, डीजीएस एण्ड टी भोपाल एवं शासकीय मुद्रणालय भोपाल से भी जानकारी प्राप्ति हेतु पत्र दिनांक 27.08.2016 भेजे गये हैं। जिसके पालन में शासकीय मुद्रणालय से पत्र दिनांक 19.09.2016 द्वारा जानकारी प्राप्त हुई एवं डीजीएस एण्ड टी से सही जानकारी प्राप्त होने पर पुनः स्मरण पत्र दिनांक 27.09.2016 को भेजा गया। प्राप्त जानकारियों की पुष्टि हेतु पत्र दिनांक 25.11.2016 को हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन कोलकाता को लिखा गया। साथ ही कागज की डीजीएस एण्ड टी दरें अनुसांगिक व्यय की जानकारी सहित एचओआर भोपाल के लिए उपलब्ध कराने तथा तत्समय एमपीसीएल से अनुबंध था या नहीं, की जानकारी नई दिल्ली से पत्र दिनांक 25.11.2017, हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई से पत्र दिनांक 24.01.2017, एवं वाणिज्य विभाग नई दिल्ली से पत्र दिनांक 31.01.2017 द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है।

4. प्रकरण में प्राप्त जानकारियों के संबंध में संचालक म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रश्न पूछा गया कि क्या एक ही संचालक के कार्यकाल में उपरोक्त समस्त खरीदी की गई है? के संबंध में अवगत कराया गया कि एक ही संचालक के कार्यकाल का प्रकरण है।

निरंतर..2..

समस्त जानकारियों के पूर्णतया अवलोकन पश्चात अकादमी में कार्यरत श्री मुकेश चौधरी, सहायक संचालक, श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, कनिष्ठ लेखापाल एवं प्रो. सेवाराम त्रिपाठी, पूर्व संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 06.05.2017 को जारी किए गए। जिसके पालन में श्री चौधरी एवं श्री सिसोदिया से स्पष्टीकरण प्राप्त हुए एवं श्री त्रिपाठी के संबंध में अकादमी द्वारा अवगत कराया गया कि वे इस समय अन्य स्थान पर पदस्थ है जिसकी जानकारी आयुक्त उच्च शिक्षा से प्राप्त की जा रही है।

5. अकादमी द्वारा 2014–15 में 60 जीएसएम का 1000 मी.टन कागज रूपये 54605/– की दर से क्रय किया जबकि उक्त पेपर शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल द्वारा रूपये 53470/– की दर से क्रय किया गया। जिसमें काफी अंतर प्रतिलक्षित हैं इस प्रकार अकादमी द्वारा कागज खरीदी में राशि रूपये 1135.60 का प्रतिटन से 1000 मी.टन क्रय किये गये कागज पर राशि रूपये 11,35,600.00 का अधिक भुगतान कर शासन को आर्थिक हानि पहुचाई जाने के कारण म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1695 के नियम 03 का उल्लंघन करना पाया गया। जिसके उत्तरदायी कर्मचारियों को अधिक भुगतान राशि में से 1 तिहाई राशि प्रतिव्यक्ति वसूल किए जाने के आदेश दिनांक 30.11.2017 को जारी किए गए एवं डॉ. सेवाराम त्रिपाठी पूर्व संचालक की वर्तमान पदस्थी एवं सेवानिवृत्ति तिथि सहित संपूर्ण जानकारी आयुक्त उच्च शिक्षा से प्राप्त की जा रही है। अपुष्ट जानकारी के अनुसार श्री सेवाराम त्रिपाठी अपने मूल पद प्राध्यापक से वर्ष 2016 में ही से.नि. हो चुके है।

उपरोक्तानुसार संपूर्ण की गई कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन समय–समय पर मान. लोकायुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान में अकादमी में कार्यरत श्री मुकेश चौधरी सहायक संचालक एवं महेन्द्र सिं सिसोदिया कनिष्ठ लेखापाल से अधिक भुगतान की कुलराशि के एक तिहाई राशि वसूली के जारी आदेश 30.11.2017 का प्रतिवाद उत्तर इनके द्वारा प्रस्तुत कर अपील की गई कि उनसे वसूली की जा रही राशि वसूली हेतु वे दोषी नहीं है क्योंकि क्रय नियमों का अनुमोदन संचालक मण्डल, अध्यक्ष का है। प्रकरण के जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि समिति ने क्रय भण्डार नियमों का अनुमोदन किया था, न कि अधिक वसूली भुकतान का। अतः इनके अपील अभ्यावेदन अमान्य कर संबंधितों से अधिक भुगतान राशि वसूली के आदेश यथावत रखे जाने के प्रशासकीय अनुमोदन 14.03.2018 को प्राप्त किये जाकर अभ्यावेदन अपील अमान्य के आदेश जारी किये जा रहे है।

चूंकि पूर्व संचालक डॉ. सेवाराम त्रिपाठी वर्ष 2016–17 में सेवानिवृत्त हो चुके है, जिससे उनके अधिक भुगतान राशि वसूली हेतु उनके सेवानिवृत्त पश्चात स्वत्वों के भुगतान संबंधी जानकारी आयुक्त उच्च शिक्षा से प्राप्त की जा रही है, जानकारी प्राप्त होने पर उनसे वसूली की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

14/3/18

(ग) मुद्रित पुस्तकों की संख्या

वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017 (जन. 18 तक)
25,02,903	21,43,120	21,20,392

मुद्रण कार्य पर भुगतान (राशि रूपये में)

वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017 (जन. 18 तक)
1,52,36,334	1,67,19,735	1,01,63,450

बिक्रीत पुस्तकों की संख्या

वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017 (जन. 18 तक)
19,26,168	22,52,024	19,41,391

भण्डार में बची पुस्तकों की संख्या

वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017 (जन. 18 तक)
11,62,710	10,53,806	12,32,807

14/3/18